



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 06-03-2025

विषय:- थाना AHTU पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर भगा कर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में थाना भेलूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 0312/2022 धारा- 363 भादवि से सम्बन्धित नाबालिक पीडिता का मोबाइल लगातार बन्द होने के कारण काफी सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर पीडिता का दिल्ली में होना प्रमाणित होने पर थाना AHTU पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त समीर मलिक समीर पुत्र मो0 इदरीस निवासी मकान नं0- E-119 BINDAPUR POKET- 4 थाना डाबरी जिला द्वारका WEST DELHI उम्र लगभग 25 वर्ष को गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद कर दिनांक 06.03.2025 को समय करीब 14.50 बजे थाना भेलूपुर में दाखिल किया गया तथा मुकदमा में अपहृता के बरामदगी व अभियुक्त के गिरफ्तारी के आधार पर धारा- 366/376(2)(N) व 5/16 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

घटना का विवरण:- मु0अ0सं0- 0312/2022 धारा 363 भादवि के अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने कतिपय आरोपों के संबंध में पंजीकृत कराया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- समीर मलिक समीर पुत्र मो0 इदरीस निवासी मकान नं0- E-119 BINDAPUR POKET- 4 थाना डाबरी जिला द्वारका WEST DELHI उम्र लगभग 25 वर्ष ।

अपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 0312/2022 धारा 363/366/376(2)(N) व 5/16 पाक्सो एक्ट थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार शुक्ला थाना AHTU कमि0 वाराणसी
2. उ0नि0 श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना AHTU कमि0 वाराणसी
3. महिला मुख्य आरक्षी सीमा गौतम थाना AHTU कमि0 वाराणसी
4. का0 गोविन्द यादव थाना AHTU कमि0 वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन,
कमिश्नरेट वाराणसी।